किसान छात्रावास के पास जालोर।

4/3 राजेन्द्र पुत्र चौथाराम् जाति माली, निवासी किसान छात्रावास के पास जालोर।

4/4 महेन्द्र पुत्र चौथाराम, जाति माली, निवासी किसान छात्रावास के पास जालोर।

4/5 हितेश पुत्र चौथाराम, जाति माली, निवासी किसान छात्रावास के पास जालोर।

4/6 अशोक कुमार पुत्र चौथाराम, जाति माली, निवासी किसान छात्रावास के पास जालोर।

4/7 मोहनी देवी वेवा चौथाराम, जाति माली, निवासी किसान छात्रावास के पास जालोर।

5. मोहनलाल पुत्र नाम अनाराम धलडा पावटी रोड जगनाथ वोटर सप्लायर्स के पास जालोर जिला जालोर।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

राजस्व द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर दिनांक 17.03.2020 बमुकदमा राजस्व प्रथम अपील संख्या 52/2016 अपीलांट श्रीमती कमला बनाम रेस्पोडेंट्स चुन्नीलाल के कायम मुकाम वगैरह

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मनीषसिह राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 24.12.2024

1. न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर (श्री छगनलाल गोयल आर.ए. एस.) दिनांक 17.03.2020 बमुकदमा राजस्व प्रथम अपील संख्या

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

52/2016 अपीलांट श्रीमती कमला बनाम रेस्पोडेंट्स चुन्नीलाल के कायम मुकाम वगैरह जिसके द्वारा उन्होंने रेस्पोडेंट के पक्ष में पारित फौतेतगिरी म्यूटेशन संख्या 21 दिनांक 26.05.1995 को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार जालोर को स्वर्गीय अनाराम पुत्र सवाजी के कायम मुकाम की जांच कर नामांतरकरण की कार्यवाही करने का आदेश पारित किया से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलात सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने वहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने द्वौराने वहस अभिकथन किया कि –

रेस्पोडेण्ट सख्या 01 श्रीमती कमला देवी ने एक राजस्व अपील विद्वान प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.09.2016 को इस अमर में प्रस्तुत की कि मौजा जालोर ए पटवार सर्कल जालोर की सरहद में भुमि आई हुई थी व है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि कोई भी दावा, अपील या निगरानी संबधित अधिनियम मे बतलाई गई समयावधि के भीतर–भीतर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। मौजुदा प्रकरण मे मान्यसुदा रूप में विचारण न्यायालय तहसीलदार जालोर ने फौतेगिरी म्युटेशन संख्या 21 दिनाक 26. 05.1995 को पारित किया था, और धारा 78 राजस्थान भु.राजस्व अधिनियम 1956 मे वर्णित बाध्यकारी प्रावधानो के अनुसार विचारंण न्यायालय/तहसीलदार जालोर के इस आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर भीतर ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है। धारा 03 म्याद अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार ये न्यायालय के लिए बाध्यकारी था व है, कोई भी पक्षकार इस संबंध मे एतराज करे अथवा नही परन्तु न्यायालय का यह दायित्व है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत दावा/अपील/निगरानी इत्यादी निर्धारित समयावधि मे प्रस्तुत हुई है, बिना इसका विधिवत् निराकरण करे तदोउपरान्त ही उस दावा/अपील/निगरानी के गुणावगुणो पर सुनवाई कर सकते है। बिना इसका विधिवत निर्णय किए न्यायालय को दावा/अपील/निगरानी इत्यादी के गुणावगुणो पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नही है। इस कारण भी एकमात्र आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। मौजुदा प्रकरण में मान्यशुदा रूप से फौतेतगि म्युटेशन राख्या 21 पर दिनांक 26.05.1995 को आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 30 दिवस की अवधि में कोई अपील प्रस्तुत नही की गई थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में अपील दिनांक 09.09.2016 यानि करीब 21 वर्ष, बांद प्रस्तुत की गई। मौजुदा प्रकरण में स्वयं रेस्पोडेण्ट कमला

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

देवी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के कारण प्रथम अपील न्यायालय ने अपील को राब्जेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज की थी, तो ऐसी स्थिती मे न्यायालय का यह दायित्व था कि वे पहले धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदन का निस्तारण करे, और वे यदी अपील का अन्दर म्याद शुमार करते तो उसके गुणावगुणो पर सुनवाई करते, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय का अपने अपीलाधीन निर्णय मे ये मत कि इस प्रकार के नामान्तरण प्रकरणो मे लिमिटेशन के प्रावधान लागु नही स्टेटमेन्ट को स्वीकार नही किया जा सकता था, और विधि के प्रावधानो के अनुसार ये ही नही है। भु. राजस्व अधिनियम व उसके सलग्न नियमो मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार धारा 05 म्याद अधिनियम के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अतिआवश्यक है। ऐसा नहीं किये जानें पर वह आवेदन मात्र इस आधार पर काबिल रिजेक्ट है। ऐसी स्थिती में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेस्पोडेण्ट कमला देवी की अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाधित होने से, तथा म्याद अवधि को माफ करवाने के संबध मे कोई भी माकुल आधार नही होने, शपथ पत्र से संबधित नहीं होने, धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन को बिना निर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो मात्र इस आधार पर काबिले मन्सुखी है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कि विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट श्रीमती झीणी देवी बेवा वंशी, श्रीमती लीला पुत्री पुनमराम, मोहनलाल पुत्र श्री अनाराम, श्रीमती मथरा देवी पुत्री अनाराम के साथ ही स्वर्गीयश्री जेठाराम पुत्र पुनमराम के कायम मुकाम अपीलाण्ट सख्या 3/1/1 से लगायत 3/1/5 श्रीमती लीला देवी पुत्री पुनमराम के कायम मुकाम अपीलाण्ट सख्या 3/4/1 से लगायत 3/4/4 एंव स्वर्गीयश्री चौथा राम पुत्र अनाराम के कायम मुकाम अपीलाण्ट सख्या 4/1 से लगायत 4/7 सहित अन्य अपीलाण्ट को सुनवाई का किसी तरह का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। जहा तक अपीलाण्ट श्रीमती लीला देवी, मोहनलाल एवं श्रीमती मथरादेवी का प्रश्न है, स्वयं विचारण न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनाक 30.10.2016 मे यह स्पष्ट रूप से माना है कि रेस्पोडेण्ट सख्या 3/2 से 3/4, 5 व 6 का समन बाद चस्पा प्राप्त हुआ है, लेकिन दो गौतबिरान के उस पर हस्ताक्षर नही है। अतः अपीलार्थीया वकील दिगर रेस्पोडेण्टगण के समन, तलबाना भरकर पुनः पेश करे, पेश करने पर सम्मन जारी किया। उसके बाद प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष कमलादेवी के वकील ने यानि प्रथम अपीलेट न्यायालय के समक्ष वकील अपीलाण्ट ने UNSERVED रेस्पोडेण्ट याने उपरोक्त व्यक्तियो के समन तलबाना पेश करने हेतु समय लिया, परन्तु कभी भी पेश नही किया, और इन व्यक्तियो यानि अपीलाण्ट सख्या 3/2 से लगायत 3/4 व 5 व 6 पर बिना विधिवत तामिल करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसे किसी सुरत मे कायम नही रखा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त जनो के सम्मन तामिल करवाये बिना ही सीधे तौर पर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण के रेस्पोडेण्ट कमाक 3/1 जेठाराम पुत्र श्री पुनमाराम, 3/4

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

लीला देवी पुत्री पुनमाराम, रेस्पोंडेण्ट सख्या 04 चौथाराम पुत्र श्री अनाराम जी का देहान्त उक्त रेस्पोडेण्ट के सम्मन जारी होने से पुर्व ही देहान्त हो गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील पोषणीय नही है। उक्त मृत रेस्पोडेण्ट के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना जैर अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियो के विरूद्व पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की अपील मे सभी खातेदार व सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त आधार पर भी जैर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। मौजुदा प्रकरण मे स्वीकृत रूप से एवं मीमो ऑफ अपील मे वर्णित अभिकथनो के अनुसार खसरा सख्या 1269, 1294, 1295, 1296, 1340, 1277/6266 को विकय कर दिया था, परन्तु रेस्पोडेण्ट कमला देवी ने अपील अपनी इस कृषि के खरीददारान को पक्षकार मुकदमा ही नहीं बनाया, और बिना उसे पक्षकार मुकदमा बनाए ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, इतना ही नही इस जमीन वे खरीददारान ने खरीदने के उपरान्त अपनी खरीदसुदा भुमि का भुमि रूपान्तरण भी करवा दिया, और आबादी भुमि मे परिवर्तन करवा दिया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर श्अपीलाधीन आदेश पारित करने से पुर्व उक्त तथ्यो को पुर्णतया मजर अंदाज किया है। यहा यह उल्लेखनीय है कि विवादित खसरा सख्या 657 का बटवारा होकर उसमे नया खसरा सख्या 2064 व 2067 हो गए थे, परन्तु इनको अपील मे किसी तरह की कोई चुनौती नहीं दी गई है। इतना ही नही खसरा सख्या 6641/6571 में से 2.76 हैक्टेयर भुमि अपीलाण्ट झंमुदेवी ने केता हनुराम पुत्र वीराराम जी रेबाडी को दिनाक 29.05.2011 को विकय कर दी थी। जिसका नामान्तरण भी खरीददारान के नाम से भरा जा चुका था व है। परन्तु उन्हे भी पक्षकार मुकदमा नही बनाया, परन्तु सबको विद्वान विचारण न्यायालय ने पुर्ण रूप से अनदेखा कर अपीलांधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कि मौजुदा प्रकरण मे विवादित खसरा सख्या 657 के संबध मे बटवारा की डिकी पारित हुई, तदोउपरान्त अलग अलग बटा नम्बर कायम हुए। उसमे काफी भुमि विकय कर दी, भुमि रूपान्तरण करवा कर उसका पट्टा भी प्राप्त कर लिया, उसको रजिस्टर्ड करवा दिया, जिसके विरूद्ध न तो अपील प्रस्तुत की गई, तथा न ही उसे चेलेज किया गया। तो इस तरह मौजुदा प्रकरण मे म्युटेशन अपील की, जो कार्यवाही है, वह पुर्ण रूप से विधि बाधित है। क्योकी जब तक इन सब कार्यवाहीयो मे विभाजन के निर्णय व डिकी, भुमि रूपान्तरण के आदेश एवं विक्रय विलेख तथा रजिस्टर्ड लीज डिड को निरस्त करवाने हेतु एवं विधिवत बटवाडे हेतु अपने हक एवं अधिकारो की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय मे दावा प्रस्तुत नही कर दिया जाता, तब तक म्युटेशन की समरी प्रोसेडिग्स श्के आधार पर उन सबको चुनौती नहीं दी जा सकती, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सबको नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी कानुनी वाक्याती भुल की है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुणो पर विना निर्णय किए ही. मात्र तकनीकी आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे भारी कानुनी भुल की है, यहा यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेण्ट कमला पुत्री अनाराम के पिता स्वर्गीयश्री अनाराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत विवादित कृषि भुमि के संबधित अपने पांचो पुत्रो के ह कमे निष्पादीत कर दी थी। और स्वर्गीयश्री अनाराम के देहान्त के उपरान्त उनके द्वारा विधिवत शनिस्तारित वसीयत की रूह से उसके पांचो पुत्र ही विवादित कृषि भुमि के हकदार हुए और ये भुमि उन्हे जरिये वसीयत उत्तराधिकारी मे प्राप्त हुई। जिस आधार पर ही म्युटेशन सख्या 21 स्वीकृत किया गया। जिसके बखुबी जानकारी अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाण्ट को थी। उन्होने करीब 21 साल तक उसे चुनौती नही दी, तथा रेस्पोडेण्ट कमला देवी का परिवार मे बखुबी आना जाना था। परन्तु वर्तमान मे परिवारिक रिश्ते में खटास आ जाने व राजनितिक वैमनस्य से रेस्पोडेण्ट कमला देवी के परिवार वालो ने उसके नाम से ही ये झुठी अपील पेश की है। यदी वास्तविक रूप से कमला देवी का हक हिस्सा होता तो वह कब्जे की अवश्य ही मांग अथवा कार्यवाही करती। इतना ही नही हाजा अपील के अपीलाण्ट ही उक्त भुमि पर कब्जा, काश्त कर है। भुमि का विकय कर रहे है, भुमि का रूपान्तरण करवा रहे है। प्लॉट काटे गये है। परन्तु इस संबंध में बखुबी जानकारी होते हुए भी कभी भी किसी तरह का कोई एतराज नही किया है। परन्तु अब मात्र दुर्भावना से, लोभ व लालच में आकर ऐसी झुठी अपील अधिनस्थ के समक्ष पेश की थी। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 17.03. 2020 को पारित निर्णय अपास्त किया जाकर फौतेतगिरी नामान्तकरण सख्या 21 दिनाक 26.05.1995 को पुनः बहाल किये जाने का आदेश फरमावे। अन्य आदेश जो अपीलाण्ट के पक्ष मे व रेस्पोडैण्ट कमला देवी के विरूद्ध हो पारित फरमावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अभिकथन किया कि मौजा जालोर "ए" में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स की शामलाती पुश्तैनी आराजी हाल खसरा नम्बर 655 रकबा 4.51 हेक्टर,657 रकबा 4.13 हेक्टर, 1279 रकबा 1.55 हेक्टर, 1294 रकबा 1.95 हेक्टर, 1295 रकबा 2.02 हेक्टर, 1296 रकबा 2.15 हेक्टर, 1240 रकबा 1.75 हेक्टर, 1277/6266 रकबा 0.10 हेक्टर कुल रकबा 18.16 हेक्टर की आई हुई है, रेस्पोडेण्ट के पिता अनाराम पुत्र सवाजी के 13.1.1994 के फौत होने के पश्चात् उनके हिस्से की खातेदारो आराजी में उक्त तमाम खसरे आते थे जिसमें अनारामजी का 1/2 हिस्सा यानि 9.08 हेक्टर आराजी आती थी. जिसमें रेस्पोडेण्ट तथा रेस्पोडेण्ट के पांचो भाईयों चुन्नीलाल पूनमाराम गुणेशाराम तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4–चौथाराम व रेस्पोडेन्ट सं.5–मोहनलाल का बराबर बराबर हिस्सा अर्थात 1/8 हिस्सा–1/8 हिस्सा आना चाहिये, क्योंकि रेस्पोडेण्ट के पिता के फौत होने से पूर्व रेस्पो. की माता फौत हो चुकी थी किन्तु रेस्पोडेण्ट सं. 1 के पांचो भाईयों ने मिलकर म्युटेशन में रेस्पो. स. 1 का तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 का नाम दर्ज नहीं करवाया तथा अनारामजी के फौत होने के बाद तहसीलदार जालोर द्वारा फौतगी का म्युटेशन सं. 21 दिनांक 26.5. 1995 पटवारी आदि से मिलावट कर स्वयं के नाम भरवा लिया। रेस्पो.

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

का हक व हिस्सा देने से इन्कार करने पर रेस्पो. सं. 1 स्वयं अपने पति के साथ अपनी पुश्तैनी आरजी के खसरा नम्बर पता कर म्युटेशन की नकल मांगी जो रेस्पो. को दिनांक 29. 2016 को मिली जिसमें रेस्पो. का कही भी नामोनिशान तक नहीं था। पुश्तैनी आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम हिन्दू होने के नाते स्व. अनाराम पुत्र सवाजी के समस्त वारिसान् पर लागू होता है। अतः रेस्पो. के पिता की फौतेदगी के पश्चात् तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत जालोर ए का म्युटेशन सं. 21 दिनांक 26.05.1995 अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर जालोर द्वारा विधि के अनुसार निरस्त किया गया है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स उभयपक्षकारान् ने एक स्वर में निवेदन किया कि अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 3 के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील का निस्तारण किया जावे। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2024 अनुसार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के आदेष दिनांक 17.03.2020 के विरूद्ध के हाजा अपील पेश की गई है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर दिया है रेस्पोडेण्ट्स हाजा अपील के तथ्यों को स्वीकार करते है तथा वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से को त्योग करते है। रेस्पोडेण्ट्स का हाजा अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि के बावत अपने सभी हक हिस्सो का त्योग करते है वादग्रस्त भूमि के बदले रेस्पोडेण्ट्स को अन्य रूप से हक प्राप्त हो गया है भविष्य में रेस्पोडेण्ट्स वादग्रस्त भूमि में हक हस्सो की मांग नही करेगें। वादग्रस्त भूमि में के बावत् अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रस्पोडेण्ट्स का उतर एजरात नही है। प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2024 पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक कमला, दो मथरादेवी एवं तीन शांति समस्त पुत्रीयान् अनाराम द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये। जिनकी पहचान संबंधित वकील द्वारा की गई है।

8. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2020 विधिक दृष्टीकोण से तत्समय उचित था परन्तु कालान्तर में प्रकरण के पक्षकारान् के मध्य बनी विधिक सहमति अनुसार न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23.12.2024 के आलोक में अब यह निर्णय प्रासांगिक नही रह गया है। साथ ही प्रकरण में वर्ष 1995 में दर्ज अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रकरण के तथ्य पक्षकारान् की जानकारी होने के बावजुद एक लम्बे अर्से उपरान्त अपील प्रस्तुत की गई है, जिस पर मयाद अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान भी लागू होते है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अब पक्षकारान् के मध्य विवाद नही होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है एवं मृतक अनाराम के वारिसान अपीलाण्ट पुत्रगण एवं रस्पोडेण्ट्स पुत्रीयान् के मध्य ब्लेंड रिलेशन होने से हकतर्क करने के भी विधिक प्रावधान है। अतः प्रकरण में उक्त समस्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2020 को निरस्त किया जाना विधि सम्मत है। एवं नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.05.1995 को यथावत रखा जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट वरूए राजीनामा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 56/2016 निर्णय दिनांक 17.03.2020 को अपास्त किया जाता है। म्यूटेशन संख्या 21 दिनांक 26.05.1995 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)